

पत्रांक -विधि-4(1)-परिपत्र-भाग-4 /2012-13 / 1879/1213103

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 28, मार्च, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

शासन द्वारा अपने पत्र संख्या क0नि0-2-410(1)/ग्यारह-2-13-9(18)/12टीसी दिनांक 28.03.2013 से अधिसूचना संख्या क0नि0-2-408/ग्यारह-9(18)/2012-30प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(87)-2013 दि0 28.03.2013 संलग्न करते हुये संसूचित किया गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के वादों, जिनके कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने की समय सीमा दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो रही है, के संबंध में कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समय सीमा दिनांक 15 मई, 2013 तक बढ़ा दी गयी है । शासन के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

उक्त पत्र कमिशनर, वाणिज्य कर, 30प्र0 के आदेश के क्रम में प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

(योगेन्द्र कुमार)
28.3.13

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश

प्र0प्र0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0 ।
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, 30प्र0 ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य0/गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0/कमि0/असि0/कमि 0(30-न्या0/कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वेल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0।
- (25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (27) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (32) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
- (33) कन्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
- (34) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से।
- (35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद।
- (37) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहना रोड कानपुर।
- (39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (42) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
- (43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1, कुँजगली, चौक, वाराणसी।
- (44) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहारनपुर।
- (46) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
- (48) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (49) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
- (50) संयोजक, टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
- (52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0पा0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
- (54) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
- (55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पँजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल सफा, लखनऊ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।

- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, 30प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ।
(59) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष 30प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।
(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (30प्र0)
(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूं।
(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद।
(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
(71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)।
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

एस0 सी0 द्विवेदी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च, 2013

महोदय,

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-408/ग्यारह-9(18)/12-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(87)-2013 दिनांक 28.03.2013 की हिन्दी तथा अंग्रेजी की एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया इन्हें दिनांक 28 मार्च, 2013 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुये इनकी 3200 प्रतियाँ मुद्रित करते हुये 3000 प्रतियाँ कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को एवं 200 प्रतियाँ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट

2. यह विज्ञप्ति असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रकाशित की जायेगी।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0 सी0 द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-क0नि0-2-410 (1)/ग्यारह-2-13-तददिनांक।

प्रतिलिपि मय संलग्नक निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। (प्रचार-प्रसार हेतु)
- 3- विधायी विभाग (अनुभाग-1), उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(एस0 सी0 द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- ५०८ / ग्यारह-9(18) / 2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(४७)-2013

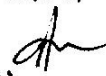
दिनांक: २८ मार्च, 2013

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में राज्य में विद्यमान असामान्य परिस्थितियों के कारण कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के वादों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) के अधीन इसके लिये प्राविधानित समयसीमा के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करना कठिन होगा,

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के वादों, जिनके कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने की समयसीमा दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो रही है, के सम्बन्ध में कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण पूर्ण करने की समयसीमा 15 मई, 2013 तक बढ़ाते हैं।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-408/XI-9(18)/2012-U.P.Act-5-2008-Order-(87)-2013 dated March 28, 2013 for general information:

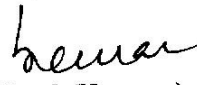
NOTIFICATION

No.- KA.NI.-2- 408 /XI-9(18)/2012-U.P.Act-5-2008-Order-(87)-2013
Lucknow::Dated::March 28, 2013

WHEREAS the State Government is of the opinion that due to extra-ordinary circumstances prevalent in assessment year 2012-13 in the State it will be difficult to complete assessment or re-assessment in respect of cases of the assessment year 2009-10 within the time limit provided therefor under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008),

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (11) of section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to extend the time limit upto 15th May, 2013 for completing assessment or re-assessment in respect of cases of the assessment year 2009-10 for which limitation for passing assessment or re-assessment order expires on 31st March, 2013.

By order,


(Biresh Kumar)
Pramukh Sachiv